न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, कोर्ट नं0–1, जौनपुर।
सत्र परीक्षण संख्या– 138/2019
रजिस्ट्रेशन संख्या– 148/2019
सीएनआर.नं0–यूपीजेपी. 010037032019
स्टेट–––––––––––बनाम––––––––सन्तोष कुमार वर्मा एवं अन्य
मु0 अ0 सं0– 07/2019
धारा–304 आई0 पी0 सी0
थाना–बदलापुर, जिला जौनपुर।

16.09.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण सन्तोष कुमार वर्मा एवं प्रवेश कुमार यादव की तरफ से गैर हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जो आज के लिए स्वीकृत।

स्टेट की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा बताया गया कि अभियुक्त शिव कुमार की मृत्यु होने के सम्बन्ध में मृत्यु आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियुक्त शिव कुमार की मृत्यु आख्या के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/सभासद शकुन्तला शर्मा एवं तामील कुनिन्दा एस. आई. हरिनारायण पटेल थाना बदलापुर, जिला जौनपुर का बयान अंकित किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त शिव कुमार की मृत्यु की सूचना पर थाना बदलापुर, जौनपुर से मृत्यु आख्या आहूत की गयी। उक्त आख्या प्रपत्र संख्या–23ख/1 दिनांकित 25.09.2022 है। उक्त आख्या में तामील कुनिन्दा एस.आई.हरिनरायण पटेल ने कथन किया है कि अभियुक्त शिव कुमार की मृत्यु हो चुकी है। उसके द्वारा उक्त कथन सभासद शकुन्तला शर्मा वार्ड नं0–15 सरोखनपुर, नगर पंचायत बदलापुर, जिला जौनपुर के लिखित प्रमाण पत्र का0 सं0–23ख/2 के आधार पर कहा गया था। उक्त आख्या के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/सभासद शकुन्तला शर्मा का बयान सी0 डब्लू0–1 का0 सं0–24क तथा एस.आई. हरिनारायण पटेल का बयान सी.डब्लू0–2 का0 सं0–25क के रूप में दिनांक 16.09.2023 को अंकित किया गया है। थाने की आख्या एवं तामील कुनिन्दा के बयान तथा समर्थक बयान ग्राम प्रधान/सभासद से अभियुक्त शिव कुमार की मृत्यु हो जाना पाया जाता है। अतः अभियुक्त शिवकुमार के विरूद्ध उक्त अपराधिक प्रकरण उपशमित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक–08.12.2023 को पेश हो। साक्षी तलब हो।

(राजेश कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, कोर्ट नं0–1,
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6021

Digitally signed by Rajesh Kumar Rai
Date: 2023.09.18 14:12:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court